

कार्यालय परिवहन आयुक्त  
उत्तर प्रदेश।

संख्या-554(शा0)सा0प्र0/13-68टीआर/13

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई 2013

'आदेश'

उ0प्र0 मोटर वाहन (दसवां संशोधन) नियमावली, 2010 द्वारा यथा संशोधित उ0प्र0 मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम-51 क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-448(शा0)सा0प्र0/05-68टीआर/72-90, दिनांक 02.12.2005 व अधिसूचना संख्या-449(शा0)सा0प्र0/05-68टीआर /72 90, दिनांक 02.12.2005 को अतिक्रमिit करते हुये उक्त नियम के उप नियम (2) के खण्ड (चार) के अन्तर्गत आकर्षक पंजीयन संस्थाएं निम्नानुसार अधिसूचित किये जाते हैं:-

(क) अति आकर्षक पंजीयन नम्बर (देय शुल्क रू0-15000/-)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	900	999	1000	1100	1111	2000	2200	2222	3000
3300	3333	4000	4400	4444	5000	5500	5555	6000	6600
6666	7000	7700	7777	8000	8800	8888	9000	9900	9999

(ख) अति महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बर (देय शुल्क रू0-7500/-)

90	99	100	200	300	400	500	600	700	800
1001	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2002
2100	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3003	3100
3200	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4004	4100	4200
4300	4500	4600	4700	4800	4900	5005	5100	5200	5300
5400	5600	5700	5800	5900	6006	6100	6200	6300	6400
6500	6700	6800	6900	7007	7100	7200	7300	7400	7500
7600	7800	7860	7900	8008	8100	8200	8300	8400	8500
8600	8700	8900	9009	9100	9200	9300	9400	9500	9600
9700	9800								

(ग) आकर्षक पंजीयन नम्बर (देय शुल्क रू0-6000/-)


11	22	33	44	55	66	77	88	111	222
333	444	555	666	777	888	1122	1133	1144	1155
1166	1177	1188	1199	1786	1881	2211	2233	2244	2255
2266	2277	2288	2299	2772	2786	3311	3322	3344	3355
3366	3377	3388	3399	3663	3786	4411	4422	4433	4455
4466	4477	4488	4499	4545	4786	5445	5511	5522	5533
5544	5566	5577	5588	5599	5786	6336	6611	6622	6633
6644	6655	6677	6688	6699	6786	7227	7711	7722	7733
7744	7755	7766	7786	7788	7799	8118	8787	8811	8822
8833	8844	8855	8866	8877	8899	9786	9911	9922	9933
9944	9955	9966	9977	9988					

(घ) महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बर (देय शुल्क रू0 3000/-)

18	20	27	30	36	40	45	50	54	60
63	70	72	80	81	101	202	303	404	505
606	707	808	909	1010	1212	1313	1414	15 15	1616
1717	1818	1919	2020	2121	2223	2323	2424	25 25	2626
2727	2828	2929	3030	3131	3232	3434	3535	3636	3737
3838	3939	4040	4041	4141	4242	4343	4545	4646	4747
4848	4949	4950	5050	5151	5252	5353	5454	5656	5757
5858	5959	6060	6161	6262	6363	6464	6565	6767	6768
6868	6969	7070	7171	7272	7373	7474	7575	7676	7677
7878	7979	8080	8181	8282	8383	8484	8585	8686	8787
8989	9090	9191	9292	9393	9494	9595	9696	9797	9898

1- उक्त अधिसूचित पंजीयन संख्याओं के लिये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप धारा (2) के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अति आकर्षक पंजीयन संख्या के लिये रू0-15000/-, अति महत्वपूर्ण पंजीयन संख्या के लिये रू0-7500/-, आकर्षक पंजीयन संख्या के लिये रू0-6000/-, महत्वपूर्ण पंजीयन संख्या के लिये रू0 3000/- की अग्रिम अदायगी करके कोई व्यक्ति आरक्षित करा सकता है। इन पंजीयन संख्याओं का आरक्षण "पहले आने पर पहले" के सिद्धान्त पर किया जायेगा।


2- सभी अधिसूचित संख्याओं को कार्यालय में अलग बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा और आरक्षित संख्याओं को भी प्रतिदिन बोर्ड पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे आवेदक को आरक्षण हेतु उपलब्ध पंजीयन संख्याओं की जानकारी हो सके।

  
(रजनीश गुप्ता)  
परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0-554(शा0)सा0प्र0/13-समादिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को प्रेषित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- 3- समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- श्री ए0ए0 कारुओं को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिसूचित संख्याओं को विभाग की वेबसाइट में दर्ज करें।
- 7- मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण (परिवहन आयुक्त को छोड़कर)।
- 8- परिवहन आयुक्त कैंप।
- 9- गार्ड फाइल।

  
(रजनीश गुप्ता)  
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व)  
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या-558सा0प्र0/13-68टीआर/13,

लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2013

त्रुटि का संशोधन

कृपया इस कार्यालय के आदेश संख्या-554(शा0)सा0प्र0/13-68टीआर/13, दिनांक 12 जुलाई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-51 क के प्राविधानों के क्रम में अति आकर्षक, अति महत्वपूर्ण, आकर्षक तथा महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बर अधिसूचित किये गये हैं।

2- उक्त आदेश में अधिसूचित आकर्षक पंजीयन नम्बर (देय शुल्क रू0 6000/-) में उल्लिखित पंजीयन नम्बर 4545 त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि यह उक्त आदेश में अधिसूचित महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बर (देय शुल्क रू0 3000/-) में यथा स्थान उल्लिखित है।

3- इसी प्रकार उक्त आदेश में आकर्षक पंजीयन नम्बर (देय शुल्क रू0 6000/-) में उल्लिखित पंजीयन नम्बर 8787 त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि इसके स्थान पर 8786 अंकित होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पंजीयन संख्या 8787 उक्त आदेश के महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बर (देय शुल्क रू0 3000/-) में यथा स्थान उल्लिखित है।

अतः उक्त आदेश को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाये।

ह0/-

( वी0के0 ओझा )

अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व)  
उत्तर प्रदेश।

पू0सं0-558 (1)सा0प्र0/13-समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- 3- रामस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
- 4- रामस्त सहायक परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- रामस्त सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- श्री वाई0के0 सिंह, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को उक्त आदेश संख्या-554(शा0)सा0प्र0/13-68टीआर/13, दिनांक 12.07.2013 की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तदनुसार साफ्टवेयर में तत्काल संशोधन कर अद्यतन कराने का कष्ट करें, ताकि आदेश प्रभावी होने की तिथि से लागू की जा सके।
- 7- श्री ए0ए0 पारुकी को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट में दर्ज करें।
- 8- मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण (परिवहन आयुक्त को छोड़कर)।
- 9- वैयक्तिक सहायक, परिवहन आयुक्त कैम्प कार्यालय।
- 10- गार्ड फाइल।

( वी0के0 ओझा )

अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व)  
उत्तर प्रदेश।